



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5.0”

सम्मान, स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियों टीमों द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत थाना क्षेत्र में जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve

Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 14.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा की उपस्थिति में दीपावली मेले की तैयारी को लेकर रामघाट, परिक्रमा मार्ग में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेले के दौरान लाइटिंग, स्पीकर, सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम, खोया पाया केंद्र तैयार करने साथ ही साथ मंदाकिनी नदी में बैरिकेटिंग, नाव, साफ-सफाई, ड्यूटी प्वाइंट चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

भ्रमण के दौरान चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री रमेश सिंह यादव एवं पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित रहें।

(3). 'मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित 'मिशन शक्ति अभियान-5.0'

सम्मान, स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0' पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 14.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल मिशन शक्ति-5.0' श्री सत्यपाल सिंह द्वारा निरीक्षक श्रीमती सविता श्रीवास्तव, निरीक्षक श्री राजकुमार वर्मा कोतवली कर्वी एवं एण्टीरोमियों टीम की उपस्थिति में चित्रकूट इण्टर कालेज कर्वी में विभिन्न स्कूलों के बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ मीटिंग की गयी। मीटिंग के दौरान उक्त प्रोग्राम में मिशन शक्ति से सम्बन्धित लघु फिल्मों को दिखाया गया तथा मिशन शक्ति के अंतर्गत विभिन्न हेल्पलाइनों के संबंध में भी अवगत कराया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गईं।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(4). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5.0”

सम्मान, स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थाना भरतकूप की एंटी रोमियो टीम द्वारा तिमोलिया गांव में, थाना सरधुवा एंटी रोमियो टीम द्वारा सरधुवा इण्टर कॉलेज, थाना रैपुरा एंटी रोमियो टीम द्वारा कन्या जुनियर स्कूल रैपुरा में, थाना राजापुर एंटीरोमियो टीम द्वारा कस्बा राजापुर में, थाना पहाड़ी एंटीरोमियो टीम द्वारा स्व0 रघुवीर प्रसाद कन्या इण्टर कॉलेज पहाड़ी में, थाना बरगढ़ एंटीरोमियो टीम द्वारा सूरजभान महाविद्यालय बरगढ़ में एवं थाना बहिलपुरवा एंटीरोमियो टीम द्वारा प्राइमरी स्कूल बहिलपुरवा में “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र/छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री राजेश कुमार एवं उनके हमराहीगण द्वारा एक अभियुक्त को 01 अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस व चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.10.2025 को उ०नि० श्री राजेश कुमार एवं उनकी टीम द्वारा आगामी धनतेरस व दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत बोड़ीपोखरी चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर ने सूचना दिया कि एक संदिग्ध व्यक्ति अगरहुड़ा नहर से गड़रियन पुरवा रैपुरा की तरफ जिस मोटर साइकिल से आ रहा है, वह मोटर साइकिल फतेहपुर से चोरी की गयी है। इस सूचना पर रैपुरा पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर मोटर साइकिल उपरोक्त को रोककर मोटर साइकिल चालक से नाम पता पूछते हुए मोटर साइकिल का निरीक्षण किया गया तो व्यक्ति अपना नाम लाल सिंह पुत्र चन्द्रभान निवासी बिलोखर पुरवा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट वर्तमान पता सैरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट बताया। निरीक्षण के दौरान मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नं० UP 71 AW 3112 स्पलेण्डर प्लस काली व सिल्वर रंग की चेचिस नं० MBLHAW112NHD56651 इंजन नं० HA11EVNHD71182 अंकित है। रजिस्ट्रेशन नं० को ई-चालान एप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम साजन पुत्र होरीलाल निवासी फतेहपुर बताया। ई-चालान एप पर प्राप्त नम्बर से वाहन स्वामी से सम्पर्क किया गया तो वाहन स्वामी ने बताया कि मेरी गाड़ी दिनांक 13.09.2025 को पीयूष जनरल स्टोर जी०टी० रोड खागा फतेहपुर से चोरी हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खागा में मु०अ०सं० 375/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया गया कि यह गाड़ी मैंने करीब एक माह पहले फतेहपुर में सड़क के किनारे से चोरी कर लिया था। मोटर साइकिल के बाक्स को चेक किया गया तो 02 अदद जिन्दा 315 कारतूस बरामद हुआ तथा मोटर साइकिल में लगे हुये पैनल को खोलकर देखा गया तो 01 अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। बरामद तमंचा व कारतूस के बारे में पूछताछ किया गया तो बताया गया यह तमंचा मैं अपनी सुरक्षा के लिए लिया था। बरामद मो०सा० व तमंचा के सम्बन्ध में थाना रैपुरा में मु०अ०सं० 247/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लाल सिंह पुत्र चन्द्रभान निवासी बिलोखर पुरवा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट वर्तमान पता सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

मो0सा0 रजिस्ट्रेशन नं0 UP 71 AW 3112 स्पलेण्डर प्लस काली व सिल्वर रंग

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार
- 2.उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह यादव
- 3.आरक्षी पवन यादव
- 4.आरक्षी राघवेन्द्र राजपूत

(6).दिनांक-14.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध समीक्षा गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी थाना, चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

☐ अपराध समीक्षा गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये:-☐

- (i). भादवि0 के अपराध तीन वर्षीय तुलनात्मक मासिक/प्रगतिशील विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- (ii). अधिनियम के तीन वर्षीय तुलनात्मक विवेचनाओं से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- (iii). प्रचलित अभियानों के सम्बन्ध में चर्चा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- (IV). 03 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- (V) हिस्ट्रीशीट खोलने/नष्ट करने हेतु निर्देशित किया।
- (VI) भारी संख्या में लम्बित आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।
- (VII). गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देश।
- (VIII). हत्या/लूट/चोरी/नकबजनी के अनावरण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।
- (IX). 07 वर्षों से अधिक सजा के अभियोगों के कार्यवाही के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।
- (x). 363, 366 भादवि0/137(2), 87 बीएनएस के बरामदगी हेतु शेष लम्बित अभियोगों के निस्तारण करने हेतु निर्देश।
- (xi). एनसीआर व एफआईआर के आरोप पत्र/अंतिम पत्र दाखिला सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।
- (xii). आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित अभियोगों के निस्तारण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।
- (xiii). थाना स्थानीय पर लम्बित चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xiv). दर्पण डैसबोर्ड की रैंकिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xv). माल निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xvi). सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित पुलिस फार्म FAR, IAR, DAR के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xvii)क्राइम अग्रेस्ट वुमेन पोर्टल में लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, प्रभारी साइबर/मीडिया सेल श्री निशिकान्त राय, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी महिला/जनसूचना सेल श्री जयप्रकाश उपाध्याय, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं समस्त थाना, चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

(7).आज दिनांक 14.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अक्षीक्षक श्री सत्यपाल सिंह उपस्थिति में दीपावली मेले की तैयारी को लेकर रामघाट में पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेले के दौरान लाइटिंग, स्पीकर, सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम, खोया पाया केंद्र, घाटो की साफ-सफाई, ड्यूटी प्वाइंट चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस बार विशेष डीप वाटर बैरिकेड्स मंदाकिनी नदी रामघाट में लगवाया गया है। जो श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकेगा। यह प्लास्टिक से बनी बैरिकेड्स है, जो सतह पर तैरती है और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पैदल गस्त के दौरान पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र/छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

पैदल गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी, अपराध निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री लाखन सिंह, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल गुप्ता पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहें।